



तय प्रतिफल की धनराशि:- 15,00,000/- रुपया
बयाना:- 5,00,000/- रुपया
शेष - 10,00,000/- रुपया
देय स्टाम्प शुल्क:- 30,100/- रुपया

इकरारनामा बय बिना कब्जा का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार- आवासीय भूमि
2. परगना - महोना
3. ग्राम- सरैया
4. सम्पत्ति का विवरण- भूखण्ड संख्या- 01 जो कि गाटा संख्या- 132 का मिनजुमला है।
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) वर्ग मीटर में
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 2656 वर्गफुट यानी 246.84 वर्ग मीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)-सीतापुर मार्ग से 2 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है।
8. अन्य विवरण- भूखण्ड कार्नर का है।
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)- नहीं है।
10. कुल आच्छादित क्षेत्रफल:- नहीं है।
11. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य:- नहीं है।


चौहद्दी बयशुदा जायदाद उपरोक्त

पूरब- रास्ता 25 फुट चौड़ा
पश्चिम- भूखण्ड संख्या- 02
उत्तर- रास्ता 25 फुट चौड़ा
दक्षिण- भूमि सरहद ग्राम साधूपुर

Self
Signature

राम देव

Sanyu



1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...



Handwritten signature or name in blue ink.

प्रथम पक्ष की संख्या:- 1

विक्रेता का विवरण

श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री रामदीन भाष्कर निवासिनी ग्राम व पोस्ट- रिखौना, जिला- सीतापुर उ०प्र० हाल पता- शीशमहल, नैपालापुर, सीतापुर (Mob. No. 9415510506, PAN-BAGPD0165C, AADHAR No. XXXX XXXX 8057)

द्वितीय पक्ष की संख्या:- 1

क्रेता का विवरण

श्रीमती संजू गौतम पत्नी राजेश कुमार निवासिनी- कृष्णा नगर कालोनी, शाहजहांपुर, उ०प्र० (Mob. No. 9695974828, PAN-BMCPG9773M, AADHAR No. XXXX XXXX 1539)

इकरारनामा बय बिना कब्जा

मनकि श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री रामदीन भाष्कर निवासिनी ग्राम व पोस्ट- रिखौना, जिला- सीतापुर उ०प्र० हाल पता- शीशमहल, नैपालापुर, सीतापुर की हूँ।

जो कि मैं, विक्रेता भूखण्ड संख्या- 01 क्षेत्रफल 2656 वर्गफुट यानी 246.84 वर्ग मीटर जो कि गाटा संख्या- 132 का मिनजुमला है, स्थित ग्राम- सरैया, परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ की मालिक व काबिज हूँ। जिसे मैने जरिए बैनामा आवन्तिका सहकारी आवास समिति लिमिटेड लखनऊ निबंधन संख्या- 683/82 द्वारा सचिव अरशद अली पुत्र स्व० कुदरत अली निवासी- 114/1, नया गांव पश्चिम, लखनऊ से क्रय किया था जो श्रीमान उपनिबंधक बख्शी का तालाब, लखनऊ के कार्यालय में बही संख्या- 1 जिल्द संख्या- 4757 पृष्ठ संख्या- 399 से 424 क्रमांक 7627 पर दिनांक 19.06.2012 को पंजीकृत है। जो राजस्व अभिलेखों में मुझ विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि को न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा वाद संख्या- टी- 201810460403569 धारा- 80 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

self
20-6-24

रामदेवी

Sanjay

बिना किसी शर्त के
प्रदान किया जा रहा है।
यदि आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो
आपको इस सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक
सूचनाएं प्रदान करने होंगी।


यदि आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो
आपको इस सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक
सूचनाएं प्रदान करने होंगी।

यदि आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो
आपको इस सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक
सूचनाएं प्रदान करने होंगी।

यदि आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो
आपको इस सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक
सूचनाएं प्रदान करने होंगी।

यदि आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो
आपको इस सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक
सूचनाएं प्रदान करने होंगी।

यदि आप इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो
आपको इस सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक
सूचनाएं प्रदान करने होंगी।



[Handwritten signature]

1901/10

दिनेश आदि -बनाम- उ०प्र० सरकार में दिनांक 11.12.2019 को आदेश पारित करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक प्राख्यापित की जा चुकी है। उपरोक्त भूखण्ड मेरे कब्जे दखल मालिकाना में मौजूद है। जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन, बय, हिबा, जमानत व कर्ज के भार से मुक्त बरी पाक साफ है जिसे विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार प्राप्त है अब मुझ विक्रेता को रुपये की आवश्यकता होने के कारण उसी भूखण्ड उपरोक्त को मय जुमला हकूक मुतालिकात उसके बिला छोड़े किसी चीज हक व जुज के अपने दुरुस्त होश हवास में बिला दाब नाजायज किसी शख्स के खूब सोच समझ कर बिल एवज मु० 15,00,000/- रुपया (पन्द्रह लाख रुपया) जिसके आधे मु० 7,50,000/- रुपया (सात लाख पचास हजार रुपया) होते हैं बदस्त श्रीमती संजू गौतम पत्नी राजेश कुमार निवासिनी- कृष्णा नगर कालोनी, शाहजहांपुर, उ०प्र० के हाथ विक्रय होना तय किया है जिसके बाबत बतौर बयाना मु० 5,00,000/- रुपया (पांच लाख रुपया) निम्नलिखित विवरण के अनुसार क्रेता से वसूल पा लिया है शेष मु० 10,00,000/- रुपया बवक्त बैनामा रजिस्ट्री प्राप्त होगा। इस इकरारनामा के जरिए क्रेता को कब्जा नहीं दिया जा रहा है। हम उभय पक्ष इस इकरारनामा की निम्न शर्तों के पाबन्द होते हैं:-

1. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उक्त इकरारशुदा भूखण्ड का विक्रय मु० 15,00,000/- रुपया में किया है तथा बयाना के तौर पर मु० 5,00,000/- रुपया प्राप्त कर लिया है तथा शेष मु० 10,00,000/- रुपया पाना शेष है।
2. यह कि प्रथम पक्ष/ विक्रेता को उपरोक्त भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति के हक मे रेहन बय, हिबा, जमानत आदि करने का अधिकार नहीं होगा।

Self Attest

रामदेवी

20-06-21

Sanjul

आवेदन सं०: 202400820010919

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8436

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 1500000 स्टाम्प शुल्क- 30100 अग्रिम राशि- 500000 पंजीकरण शुल्क - 7500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 7560

श्रीमती संजू गौतम,
पत्नी श्री राजेश कुमार
व्यवसाय : अन्य
निवासी: कृष्णा नगर कालोनी, शाहजहांपुर उ०प्र०

Sanjy



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/04/2024 एवं
11:04:24 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार .
उप निबंधक : बक्शी का तालाब
लखनऊ
08/04/2024

मो० आबाद रब्बानी
निबंधक लिपिक
08/04/2024

प्रिंट करें



3. यह कि विक्रेता तीन माह के अन्दर क्रेता से शेष रकम प्राप्त करके क्रेता के हक में बैनामा कर देगा इसमें विक्रेता व उनके वारिसानो को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि यदि प्रथम पक्ष/विक्रेता उपर्युक्त वर्णित भूमि का द्वितीय पक्ष के हक में बैनामा निष्पादित करने व पंजीकृत करवाने में कोई हीला हवाली करता है या बैनामा करने से इनकार करता है तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिए अदालत इकरारशुदा भूमि का बैनामा अपने हक में निष्पादित करवाकर पंजीकृत करवा लेवे जिसके कि प्रथम पक्ष व उनके वारिसान पाबन्द होंगे।
5. यह कि प्रथम पक्ष यदि इकरारशुदा भूखण्ड की स्वामी न पाये जाय या किसी न्यायालय/अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अन्तरण के अयोग्य घोषित कर दिया जाय या अन्य कोई विधिक बाधावश इकरारशुदा भूमि का बैनामा द्वितीय पक्ष के हक में न हो सके या इकरारशुदा भूखण्ड विवादित पायी जाय या इकरारशुदा भूखण्ड कहीं बय या बन्धक पाया जाय तो ऐसी तमाम दशाओं में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह दी गयी बयाना की कुल धनराशि मय तमाम हर्जे व स्वर्च के प्रथम पक्ष या उसके वारिसान से या उसकी की दीगर मनकूला या गैर मनकूला जायदाद से जरिए अदालत वसूल कर लेवें।
6. यह कि इस इकरारनामा के माध्यम से इकरारशुदा भूमि पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है कब्जा बैनामा के पंजीयन के समय दिया जायेगा।
7. यह कि इस इकरारनामा की शर्तें प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के वारिसानों पर भी आयद होंगी।
8. यह कि इस इकरारनामा में मु० 30,100/- रुपया का स्टाम्प

Self At शुल्क जरिए e-Stamp Certificate No. IN-UP

20.06.24 रामदेवी

Sanjay

आवेदन सं०: 202400820010919

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8436

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु
प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती रामदेवी, पत्नी श्री रामदीन भाष्कर

निवासी: ग्राम व पोस्ट- रिखौना जिला-
सीतापुर उ०प्र०

व्यवसाय: गृहिणी

क्रेता: 1

रामदेवी



श्रीमती संजू गौतम, पत्नी श्री राजेश कुमार

निवासी: कृष्णा नगर कालोनी, शाहजहांपुर
उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

Sanjy



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश

निवासी: ग्राम देवरई कला तह०-
बी०के०टी० लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

Ashok



श्री नीरज कुमार एडवोकेट, पुत्र श्री श्याम
लाल

निवासी: म०न०-45, वार्ड न०-1 गांधी नगर
तिर्वा कन्नौज

व्यवसाय: वकालत

Neeraj Kumar



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार

उप निबंधक : बंशी का तालाब
लखनऊ

08/04/2024

मो० आबाद रंब्बानी
निबंधक लिपिक लखनऊ

08/04/2024



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान
अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करें

18163254785634 W Dated 08.04.2024 द्वारा नियमानुसार
अदा किया जा रहा है।

भुगतान का विवरण

कुल मु0 5,00,000/- रुपया जरिए RTGS UTR No. SBINR
52024040313619893 दिनांक 03.04.2024 को विक्रेता के बैंक
खाते में क्रेता द्वारा हस्तान्तरित किया गया। जिसकी पावती विक्रेता
को स्वीकार है। प्रथम पक्ष/विक्रेता ने द्वितीय पक्ष/क्रेता से बतौर बयाना
वसूल पाया।

लिहाजा यह इकरारनामा बिना कब्जा हम उभय पक्षों ने अपनी
राजी खुशी व दुरुस्त होश हवास में बिला दाब नाजायज किसी शख्स
के खूब सोंच समझ कर बखूबी कतई तहरीर कराकर टाईप करवा
दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक:- 08.04.2024

प्रथम पक्ष



गवाह (1) अशोक कुमार
पुत्र चन्द्रप्रकाश
पता:- ग्राम- देवरई कला,
तह0 बी0के0टी0, लखनऊ
मो0नं0- 9450111536

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



गवाह (2) नीरज कुमार एडवोकेट
पुत्र श्याम लाल
पता:- म0नं0-45, वार्ड नं0- 1,
गांधी नगर, तिर्वा, कन्नौज
मो0नं0- 7524862225

[Handwritten signature]

द्वितीय पक्ष

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

टाईपकर्ता
(नन्द किशोर वर्मा)
बी0के0टी0, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(राहुल गुप्ता) 'एडवोकेट'
मो0नं0 9839864625
Reg No. 3553/09

आवेदन सं०: 202400820010919

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16550 के पृष्ठ 337 से
348 तक क्रमांक 8436 पर दिनांक 08/04/2024 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार.

उप निबंधक : बक्शी का तालाब

लखनऊ

08/04/2024



Self Attested